भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या – 828**
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मार्च, 2015 को दिया गया)

**<u>सी.एस.आर. श्रेणी के अंतर्गत कंपनियों का रिकार्ड</u>**

**828. श्री बी. के. हरिप्रसाद :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय कर्णाटक की ऐसी निजी/सरकारी कंपनियों/संगठनों का रिकार्ड रखता है जो कारपोरेट क्षेत्र के सामाजिक दायित्व की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय हमें ऐसी कंपनियों/संगठन की पहचान में मदद करने में मदद करेगा जो सी.एस.आर. के अंतर्गत आते हैं/सी.एस.आर. में रुचि रखते हैं या किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में निवेश करने के लिए अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहते हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)**

**(क) से (घ) :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से अधिक के टर्नओवर या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली कंपनी के लिए पिछले लगातार तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित उनके औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप पर व्यय करना अपेक्षित है। ऐसी प्रत्येक कंपनी के बोर्ड के लिए कंपनी की सीएसआर नीति तैयार कराना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना या कार्यान्वयन नहीं करने के कारण विनिर्दिष्ट करना अपेक्षित है। वर्तमान वित्त वर्ष, ऊपर्युक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। अधिनियम के कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रावधानों का अनुपालन करने वाली कंपनियों से संबंधित सूचना वर्ष 2015 के अंत में कंपनियों द्वारा दायर किए जाने वाले अनिवार्य सीएसआर व्यय प्रकटीकरणों के पश्चात् ही उपलब्ध होने की आशा है।

चूंकि, धारा 135 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व कंपनियों का है, अतः, सरकार के लिए किन्ही विशेष क्षेत्रों में ऐसे कार्यकलापों में मदद करना संभव नहीं होगा।

*****